

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

शंकरलाल पिता लालुराम जाट निवासी दामाखेड़ा

बनाम

श्रीमति मनोहर देवी पत्नि देवीलाल ढोली निवसी दामाखेड़ा वगैरा

प्रकरण संख्या 20/2020 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष अनुपस्थित। रुक-रुक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष में से कोई भी उपस्थित नहीं। पुनः न्यायालय समय में रुक-रुक कर आवाजें लगवाने पर पर भी उभय पक्ष तथा उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पेश मूल पट्टा मय आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	